न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)

अपील आर्म्स संख्याः 01/2018

दायर दिनांकः 26.11.2018

निर्णय दिनांक 12.09.2019

—:अनवानः—

श्री फयाज मोहम्मद पिता रियाज मोहम्मद मुसलमान निवासी नायकवाडी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द

अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये पेरोकार सरकार तहसील व जिला राजसमन्द

रेस्पोण्डेंट

विरुद्ध आदेश कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला राजसमन्द क्रमांक न्याय/18 /534—36 दिनांक 17.07.2018

उपस्थितः—

1— श्री मोहम्मद ईरशाद,अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, राजसमंद के द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा—पत्र संख्या 10/98 जो कि दिनांकः 31.12.2016 तक नवीनीकृत था उसके द्वारा आगे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया किन्तु अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाकर आदेश कमांकः 534—36 दिनांकः 17.07.2018 से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष की दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि राज्य सभा के चूनाव होने से दिनांक 04.11.2018 को पुलिस थाना राजनगर मे अपना शस्त्र जमा करवाने हेतु अधिनस्थ मजिस्ट्रेट के कार्यालय मे सम्पर्क कर अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उसे

उक्त आक्षेपित आदेश की प्रति दी गई जिससे प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई की उसका शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 17.07.2018 से दिनांक 04.11.2018 के मध्य प्रार्थी को उक्त आक्षेपित आदेश की कोई जानकारी नही थी ना ही इस संबंध में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया है। इसलिए अपील पेश करने में विलम्ब हो गया। अतः विलम्बित अवधि को कण्डोन की जाकर अपीलांट की अपील को मयाद में शुमार करानें का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने इस कथन के समर्थन में अपीलांट का शपथ–पत्र पेश किया गया। पेरोकार सरकार की ओर से इस हेतु कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्यायहित में विलम्बित अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि में शुमार की जाती हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अपीलांट के पक्ष में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा जारी शस्त्र दो नाल टोपीदार बन्दुका का अनुज्ञा पत्र संख्या 10/98 दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण किया गया व आगे नवीनीकरण हेतु अपीलांट की ओर से आवेदन किया गया । अधिनस्थ मजिस्ट्रेट, द्वारा अपीलार्थी का उक्त अनुज्ञा पत्र वर्ष 1998 से वर्ष 2016 तक बारम्बार नवीनीकृत किया गया। लेकिन विद्धान अधिनस्थ मजिस्ट्रेट ने केवल मात्र अपीलार्थी के विरूद्ध थाना केलवाडा मे प्रकरण संख्या 12/2004 धारा 341, 323, 34 आई0पी0सी0 जैसे लघु अपराध में अपीलार्थी द्वारा 200/–रूपये जुर्माना जमा कराने को आधार बना कर उक्त अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने से इन्कार कर निरस्त कर दिया गया। अधिनस्थ मजिस्ट्रेट, ने मामले मे आवश्यक पहलुओं पर विचार विमर्श व मनन किये बिना शस्त्र अनुज्ञा पत्र के वर्ष 2016 से पूर्व बारम्बार नवीनीकरण किये जाने के बावजूद केवल मात्र मशीनी तौर पर उक्त आक्षेपित आदेश पारित कर दिया आक्षेपित आदेश मे अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त करने बाबत वैद्य, उचित ठोस कारणों को भी उल्लेखित नहीं किया है। जिस कारण अधिनस्थ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में अनुरोध हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस सं0 10/98 जो कि दिनांकः 31.12.2016 तक नवीनीकृत किया गया है, को आगे नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस को निरस्त किये जाने हेतु पारित आदेश न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की अनुशंसा पुलिस उप अधीक्षक राजसमन्द द्वारा नहीं की गई। इसलिये अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इसमें संलग्न अपीलांट के लाईसेंस के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस तहसीलदार राजसमंद के द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक के लिए नवीनीकरण किया गया था और इस दिनांक से आगे के लिए अपीलांट द्वारा नवीनीकरण करवाये जाने हेतु किये गये आवेदन की जांच में पुलिस विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य

है कि– "अपीलांट के विरुद्ध 12/2004 धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 दर्ज होकर दिनांक 18.01.2007 को सजा कर 200/–जुर्माना किया गया हैं। अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांकः 17.07.2018 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद